

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS .
राजस्व मूल वाद संख्या:- 94/2023

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.श्रीमती छवि चौपडा पत्नी श्री आशीष जाति ओसवाल निवासी 86 सेक्शन 7 न्यू पावर हाउस रोड शास्त्रीनगर जोधपुर।		01.अजय मारु पुत्र श्री दानाजी मारु जाति बंजारा निवासी कृष्णा नगर नदवान लूणी जोधपुर। वगैरा समस्त दावे मे अकित।

वाद अन्तर्गत धारा ,53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति -

- 01.वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सचिन दवे उपस्थित
- 02.प्रतिवादीगण संख्या 4,9,13,19,20,21,24 की ओर से भागीस्थ विशनोई उपस्थित
- 03.प्रतिवादीगण संख्या 6,8,15,16,29 की ओर से दौलाराम प्रजापत उपस्थित
- 04.शेष प्रतिवादीगण सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं।

आदेश

दिनांक 16/5/2024

वादी का वाद अन्तर्गत धारा .53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिकी दिनांक 08.05.2024 को किया गया एव तहसीलदार लूणी को बटवाड प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिकी पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 15.05.2024 को पेश किया।

वादी व प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 146/2 रकबा 6.3859 हैक्टर ग्राम नन्दवान पटवार हल्का नन्दवान तहसील लूणी वादी एव प्रतिवादीगण का नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 15.05.2024 मय मौका फर्द दिनांक 14.05.2024 को पेश की गई जिसके आधार पर वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलग्न पत्रावली है इसके अनुसार। राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार:

क,स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	किस्म
01	श्रीमती छवि चौपडा पत्नी आशीष चौपडा हिस्सा पूर्ण जाति ओसवाल सा 86 सेक्शन 7 न्यू पावर हाउस रोड शास्त्रीनगर जोधपुर खातेदार	146/2	2.9866	बारानी द्वितीय
02	01.अजय मारु पुत्र दानाराम मारु हिस्सा 2869/30300 02.गजेन्द्र पुत्र रमेश हिस्सा 4479/30300 03.दाना मारु पुत्र फोजाराम हिस्सा 2869/30300 04.दिनेश मारु पुत्र सेठाराम हिस्सा	146/2	0.1227	बारानी द्वितीय



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

	<p>2869 / 30300 05.मनवचन पुत्र शम्भू हिस्सा</p> <p>2869 / 30300 06.राजाराम पुत्र मांगी हिस्सा</p> <p>2869 / 30300 07.शम्भू मारु पुत्र गोरु मारु हिस्सा</p> <p>2869 / 30300 08.सूरजसिंह पुत्र शंकरसिंह हिस्सा</p> <p>2869 / 30300 09.सतवीर बन्जारा पुत्र राजाराम बन्जारा हिस्सा 2869 / 30300</p> <p>10.रामसिंह पुत्र राणाराम हिस्सा 2869 / 30300</p>			
03	<p>01.कमला देवी पत्नि गोविन्दलाल का हिस्सा 55 / 8097</p> <p>02.गीता पत्नि जालाराम का हिस्सा 729 / 8097</p> <p>03.जरिना बानो पत्नि रोशन खा हिस्सा 58 / 8097</p> <p>04.डुगरराम पुत्र भोमाराम का हिस्सा 800 / 8097</p> <p>05.तारा पत्नी मागू खा का हिस्सा 145 / 8097</p> <p>06.नीलम पुत्री कन्हैयालाल का हिस्सा 50 / 8097</p> <p>07.बेबी उर्फ कमला पत्नि जोराराम का हिस्सा 800 / 8097</p> <p>08.भँवरसिंह पुत्र आनन्दसिंह का हिस्सा 86 / 8097</p> <p>09.मुमताज बानो पत्नि नासीर हुसैन का हिस्सा 29 / 8097</p> <p>10.मुमताज बानो पुत्री श्रीलाल मोहम्मद खॉ का हिस्सा 58 / 8097</p> <p>11.रुकसार बानो पुत्री श्रीलाल मोहम्मद खॉ का हिस्सा 58 / 8097</p> <p>12.राजेन्द्र धाणदिया पुत्र गोविन्दलाल का हिस्सा 44 / 8097</p> <p>13.राजेश मेहता पुत्र धपनतचन्द मेहता का हिस्सा 1600 / 8097</p> <p>14.शीलूजैन पुत्र अनिल जैन का हिस्सा 76 / 8097</p> <p>15.सुखी पत्नि माणकसिंह का हिस्सा 2400 / 8097</p> <p>16.सुरजकौर पत्नि महावीर का हिस्सा 90 / 8097</p> <p>17.सायरो बानो पत्नि मागूखॉ का हिस्सा 46 / 8097</p>	146 / 2	3.2766	बारानी द्वितीय



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लखन

18.सीतादेवी पत्नि जोराराम का हिस्सा 800/8097			
19.हाजरो बानो पत्नि लाल मोहम्मद का हिस्सा 173/8097			

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकाराण सहखातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिकी पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 14.05.2024 के अनुसार विभाजन कर वादीगण एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनांक 14.05.2024 डिकी का अभिन्न अग समझा जावे डिकी पर्चा जारी हो तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।



(सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी)
R/S

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्दाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 94 / 2023

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.श्रीमती छवि चौपडा पत्नी श्री आशीष जाति ओसवाल निवासी 86 सेक्शन 7न्यू पावर हाउस रोड शास्त्रीनगर जोधपुर।		01.अजय मारु पुत्र श्री दानाजी मारु जाति बंजारा निवासी कृष्णा नगर नदवान लूणी जोधपुर। वगैरा समस्त दावे मे अकित।

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 94/2023 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादी का वाद बटवाडा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनाक 14.05.2024 अनुसार स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अलग अलग दर्ज किये जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्दाज किये जाने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है।

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 16/5/2024 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिष्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिष्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान		



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी